

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख  
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]  
प्रकरण संख्या : 18/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/18)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजु:- 21.02.2022

उपस्थित: 1. श्री मनजीत सिंह कचूरा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 02.04.2024

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/01 में वादी के नाम 2.024 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/60 में वादी के नाम 0.632 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता संख्या 56/01 में वादी का नाम राजा सिंह पुत्र धन सिंह व खाता संख्या 101/60 में वादी का नाम राज सिंह पुत्र धन्ना सिंह दर्ज है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/01 में अंकित नाम राजा सिंह पुत्र धन सिंह के स्थान पर राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह व राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/60 में अंकित नाम राज सिंह पुत्र धन्ना सिंह के स्थान पर राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 223 दिनांक 01.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 10 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56 में वादी का नाम राजा सिंह पुत्र धन सिंह चक 2 एफ बी के खाता संख्या 101 में वादी का नाम राज सिंह पुत्र धन्ना सिंह दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि राजपाल सिंह, राज सिंह व राजा सिंह तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर



3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/01 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू. अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/60 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 10 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/01 में अंकित नाम राजा सिंह पुत्र धन सिंह के स्थान पर राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह व राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/60 में अंकित नाम राज सिंह पुत्र धन्ना सिंह के स्थान पर राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह दर्ज किए करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 10 एफ ए की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56 में वादी का नाम राजा सिंह पुत्र धन सिंह व चक 2 एफ बी के खाता संख्या 101 में वादी का नाम राज सिंह पुत्र धन्ना सिंह दर्ज है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि राजपाल सिंह, राज सिंह व राजा सिंह तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/01 में अंकित नाम राजा सिंह पुत्र धन सिंह के स्थान पर राजा सिंह उर्फ राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह व राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/60 में अंकित नाम राज सिंह पुत्र धन्ना सिंह के स्थान पर राज सिंह उर्फ राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।



{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला (राजस्थान)  
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



  
{शयोराम (आर.ए.एस.)}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट  
मुकदमा नम्बर 18/2022

निर्णय दिनांक :- 02.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/01 में अंकित नाम राजा सिंह पुत्र धन सिंह के स्थान पर राजा सिंह उर्फ राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह व राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/60 में अंकित नाम राज सिंह पुत्र धन्ना सिंह के स्थान पर राज सिंह उर्फ राजपाल सिंह पुत्र धन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहने। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 02.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
दिनांक: 02.04.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/115

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर